E Content for the Student of Patliputra University

Subject Political science

B.A. (Hons.) Part II Paper III

Topic - Emergency Powers of the Indian President

Dr. Umesh Chandra Shukla
Associate Prof. Political science
R.R.S. college, Mokama.

भारतीय संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति के लिए सामान्य काल तथा आपातकाल के लिए अलग अलग शक्तियों का प्रावधान किया है। जहाँ सामान्य शक्तियों का उल्लेख संविधान में राष्ट्रपति संबंधी सामान्य प्रावधानों के साथ किया गया है। वहीं आपातकाल संबंधी शक्तियों का प्रावधान संविधान के 18 वें भाग में किया गया है। इस भाग का नाम ही है - "Emergency Provision".

संविधान में राष्ट्रपति को तीन आपातकालीन शक्तियाँ दी गई है।

(I) युद्ध, वाह्य आक्रमण और आन्तरिक अशान्ति से उत्पन्न संकट।
(II) राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता
(III) वित्तीय संकट.

1 - युद्ध, वाह्य आक्रमण और आन्तरिक अशान्ति -

संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति की इस शक्ति का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाय कि युद्ध, वाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण या इसकी संभावना भी हो तो वह आपात काल की घोषणा कर सकता है। यह राष्ट्रीय आपात के स्वरूप में होता है। संविधान के 44 वें संशोधन के बाद इस संदर्भ में आये परिवर्तनों के आधार पर वर्तमान प्रावधान निम्न प्रकार है -

(I) इस घोषणा के लिए प्रधान मंत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों का लिखित एवं हस्ताक्षरयुक्त परामर्श पत्र राष्ट्रपति को भेजना आवश्यक है।

Scanned with CamScanner

(ii) आंतरिक अशांति का अभिप्राय देश के किसी भाग में सशस्त्र विद्रोह से होगा।

(iii) राष्ट्रपति की घोषणा के एक माह के अन्दर संसद के दोनों सदनों से पृथक पृथक कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से स्वीकृति लेनी होगी। इसे लागू रखने के लिए 6 महीने के बाद पुनः स्वीकृति लेनी होगी।

(iv) लोकसभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल समाप्त किया जा सकता है। 1/10 सदस्यों की माँग पर आपातकाल पर विचार के लिए लोकसभा की बैठक अनिवार्यतः बुलाई जायेगी।

(v) आपातकाल की घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

संकटकालीन घोषणा का प्रभाव

(i) घोषणा के साथ संविधान का संघात्मक ढाँचा स्थगित हो जाता है। एकात्मक सरकार की तरह केन्द्र सरकार राज्य कार्यपालिका क्षेत्र तक शक्तियों का उपयोग कर सकता है।

(ii) संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है जो संकटकाल की समाप्ति के 6 माह बाद तक प्रभावी रह सकती हैं।

(iii) नागरिक स्वतंत्रताएँ स्थगित और नियंत्रित रहती हैं।

(iv) केन्द्र तथा राज्यों में राजस्व वितरण में परिवर्तन लाया जा सकता है।

(v) जीवन तथा शारीरिक स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार 44 वें संविधान संशोधन के अनुसार बना रहेगा।

व्यवहार — व्यवहार में इस आपातकाल की घोषणा तीन बार की गई है। चीन से युद्ध के समय 26 अक्टूबर 1962 को जो 10 जनवरी 1968 में समाप्त की गई। पाकिस्तान युद्ध के समय 3 दिसम्बर 1971 को इसे समाप्त भी नहीं किया गया कि आंतरिक अशांति के नाम पर 26 जून 1975 को पुनः आपातकाल घोषित किया गया। इसे 27 मार्च 1977 को समाप्त किया गया।

Scanned with CamScanner

2. राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता -

संविधान की धारा 355 के द्वारा केंद्र का यह दायित्व है कि वह प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण एवं अशांति से रक्षा करे साथ ही यह सुनिश्चित करने का दायित्व केंद्र का ही है कि प्रत्येक राज्य संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चलाया जाय। इसी क्रम में संविधान की धारा 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि राज्यपाल के प्रतिवेदन या किसी अन्य स्रोत से राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाय कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो वह राज्य में आपात काल की घोषणा कर सकता है। सामान्य भाषा में इसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना कहा जाता है। वर्तमान स्थिति के अनुसार इस घोषणा पर संसद के दोनों सदनों से दो माह के अन्दर स्वीकृति आवश्यक है। 6 महीने के बाद एकबार पुनः छःमहीने के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जा सकता है। एकबार के बाद राष्ट्रपति शासन तभी हो सकता है जब संविधान में 352 के अन्तर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो या चुनाव आयोग राज्य में चुनाव कराने में असमर्थ हो।

प्रभाव

इसका संवैधानिक प्रभाव यह पड़ता है कि राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिनी शक्ति राष्ट्रपति और संसद में निहित हो जाते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। विधान सभा भंग या स्थगित हो सकती है। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्य प्रशासन का सर्वेसर्वा होता है। नागरिकों के मौलिक अधिकार भी जीवन तथा शारीरिक स्वतंत्रता के अलावा निलम्बित रहती है।

संविधान लागू होने से अबतक विभिन्न राज्यों में अनेक बार इस प्रावधान का उपयोग किया जाता रहा है। आलोचकों की नजर में इस शक्ति का राजनीतिक कारणों से ज्यादा दुरुपयोग ही किया जाता रहा है।

Scanned with CamScanner

3. वित्तीय संकट —

संविधान की धारा 360 के अनुसार ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर कि भारत के वित्तीय साख, स्थायित्व के लिये संभावना है या अन्य वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है तो राष्ट्रपति वित्तीय संकट काल की घोषणा कर सकता है। इस पर संसदीय आदि प्रावधानों का पालन इस की तरह ही किया जाता है। संयोगवश इस आपात काल की घोषणा अब तक नहीं की जा सकी है।

इसका प्रभाव यह पड़ सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित किसी के भी वेतन एवं भत्ते में कटौती की जा सकती है। वित्तीय मामले केन्द्र तथा राज्यों का, दोनों के बीच के राजस्व का वितरण आदि पर केन्द्र सरकार का ही नियंत्रण रहता है।

संविधान निर्माण के समय से ही राष्ट्रपति के आपात कालीन शक्तियों के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दिये जाते रहे हैं। एक ओर संभावित संकट का सामना करने के लिए ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी तो इन शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता था। अनुभव भी यह बताता है कि 1975 का राष्ट्रीय आपात काल तथा अनेक राज्यों का राष्ट्रपति शासन राजनीतिक कारणों एवं शक्ति के दुरुपयोग पर आधारित था। संविधान का 44 वाँ संशोधन तथा कई न्यायालयी निर्णय इसके दुरुपयोग से बचने के उपाय करते रहे हैं। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इसके दुरुपयोग के और भी सार्थक उपाय किये जायेंगे।